Email

**बिहार सरकार**
**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

पत्रांक-प्र07 वि0प0 (आ0श्वा0) 12/2012 1911 /खाद्य, पटना/दिनांक 27/3/2012

प्रेषक,

जयशंकर प्रसाद यादव
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- जन वितरण प्रणाली के दुकानों की अनुज्ञप्ति को निलम्बन से मुक्त करने के संबंध में ।

प्रसंग :- पत्रांक-प्र07-वि0प0(आश्वा0)12/2012-387/खाद्य, पटना /दिनांक-20.01.2012

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के प्रसंग में स्पष्ट किया जाता है कि जन वितरण प्रणाली की दुकानों के निलंबन के उपरान्त निलम्बन से मुक्त अथवा रद्द करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0नं0- 5418/2009 में निम्नलिखित आदेश पारित किये गये है :-

Thus once a licence after hearin is suspended, two things flow. One, the suspension would automatically stands revoked on expiry of ninety days and second, it has to be sent within fifteen days by the licensing authority to the District Selection Committee who may pass an order revoking the suspension at an earlier date itself. Beyond this there is no authority either on the Licensing Authority or the District Selection Committee to change a suspension into cancellation.

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में PDS Control Order में हुए संशोधन (23.06.2011) के पूर्व निलंबन के वैसे मामले जिनमें 7/EC के अन्तर्गत न्यायालय में मामला लंबित नहीं है, निलम्बन की अवधि 90 दिनों से अधिक हो जाने के कारण निलम्बन से स्वतः मुक्त समझे जायेंगे ।

अतः ऐसे मामलों में माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के आलोक में कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन,

सरकार के संयुक्त सचिव ।